16/3/18 आज पत्रावली पेश हुई वकील अप पक्ष उपस्थित/ वास्ते जवाब दावा दि० 1.5.18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 07–06–2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प खेडला गदाली पेश हुई। प्रतिवादी सपोली स्वयं उपस्थित। वादी केदारलाल महेन्द्रकुमार पि. सपोली जाति मीना निवासी लालपुर ने प्रतिवादीगण सपोली रामसहाय रामदीन पि.शंकरलाल जाति मीना के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 का इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। ग्राम लालपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 250, 251, 335, 338, 599, 600, 601, 602, कुल किता 8 रकबा 1.67 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगयात 3 समान भाग के खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है जिसके हिस्सा की आराजी को वादीगण ही काश्त करते हैं। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को एलानिया धमकी दी है कि वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करेगा। यदि प्रतिवादी अपनी योजना/धमकी में सफल हो गया तो वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के पुत्रों के अलावा तीन पुत्री व पत्नी जीवित है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा नहीं है। वादीगण को प्रतिवादीसंख्या 1 के जीवित रहते हुये कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण को कोई वादकरण पैदा नहीं होता है इसलिये वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने शिविर में प्रतिवादी संख्या 1 सपोली को सुना व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सवंत 2071–74 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम लालपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 250, 251, 335, 338, 599, 600, 601, 602, कुल किता 8 रकबा 1.67 हैक्टयर तेजराम पुत्र मूल्या सपोली रामसहाय रामदीन पि.शंकर हि.ब.जाति मीना सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेंत्रफल भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 250, 251, 335, 338, 599, 600, 601, 602, कुल किता 8 रकबा 1.67 हैक्टयर को गत खसरा नम्बर 52, 84, 137 से बनाया गया है। गत खसरा नम्बर 52,84 व 137 की खातेदारी के बारे में विचार करते है तो पाते है कि जमाबंदी संवत 2018 के अनुसार मूल्या शंकर पि. कन्हैया जाति मीना सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि सपोली प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी शंकर से विरासत में प्राप्त हुई है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादीगण के अलावा तेजराम पुत्र मूल्या सहखातेदार दर्ज है जिसको वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)